संख्याः– 311 /XXVII(1)/2011

प्रेषक,

**राधा रतूड़ी,**
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**समस्त अधिशासी अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
**(संलग्न सूची के अनुसार)।**

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 10 मई,2011

**विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत समनुदेशन के आधार पर समस्त नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रथम किश्त का संकमण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार समस्त नगर पालिका परिषदों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम त्रैमासिक किश्त हेतु **रु0 233882000.00 (रू0 तेईस करोड़ अड़तीस लाख बयासी हजार मात्र)** की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—आयोजनेत्तर—01—नगरीय स्थानीय निकाय—192—नगरपालिका/नगर निकाय—03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—00—20—सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

**संलग्नः— यथोपरि।**

भवदीया,

**(राधा रतूड़ी)**
सचिव, वित्त।

**संख्याः— 311 (1)/XXVII(1)/2011, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4— निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8— विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
9— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10— एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11—वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

**(आर.सी.अग्रवाल)**
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः– 311 /XXVII(1)/2011 दिनांकः 10 मई,2011 का संलग्नक।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अनुसार वितीय वर्ष 2011–12 हेतु नगर पालिकाओं को देय संकमण।

(धनराशि हजार में)

| क0सं0 | शहरी स्थानीय निकाय का नाम | प्रथम त्रैमासिक किश्त |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1–नगर पालिका परिषद | | |
| 1 | उत्तरकाशी | 7494 |
| 2 | जोशीमठ | 5678 |
| 3 | चमोली / गोपेश्वर | 7362 |
| 4 | नई टिहरी | 8508 |
| 5 | नरेन्द्र नगर | 1755 |
| 6 | मसूरी | 21945 |
| 7 | विकासनगर | 2099 |
| 8 | ऋषिकेश | 9831 |
| 9 | कोटद्वार | 6489 |
| 10 | श्रीनगर | 3659 |
| 11 | पौड़ी | 8826 |
| 12 | टनकपुर | 2822 |
| 13 | रामनगर | 4620 |
| 14 | नैनीताल | 12141 |
| 15 | हल्द्वानी | 20958 |
| 16 | जसपुर | 5017 |
| 17 | काशीपुर | 11048 |
| 18 | बाजपुर | 2663 |

(धनराशि हजार में)

| क0सं0 | शहरी स्थानीय निकाय का नाम | प्रथम त्रैमासिक किश्त |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 19 | गदरपुर | 2522 |
| 20 | रूद्रपुर | 17352 |
| 21 | किच्छा | 4144 |
| 22 | सितारगंज | 3254 |
| 23 | खटीमा | 3342 |
| 24 | रूड़की | 11250 |
| 25 | मंगलौर | 3395 |
| 26 | हरिद्वार | 21108 |
| 27 | पिथौरागढ़ | 10201 |
| 28 | अल्मोड़ा | 5608 |
| 29 | बागेश्वर | 2716 |
| 30 | रूद्रप्रयाग | 4673 |
| 31 | दुग्गड्डा | 591 |
| 32 | भवाली | 811 |
| **योग** | | **233882** |

**(₹ तेईस करोड़ अडतीस लाख बयासी हजार मात्र)**

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।